लिंग संवेदनशीलता

मॉड्यूल

'केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लिंग संवेदनशीलता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम'

राष्ट्रीय महिला आयोग

नई दिल्ली

सितंबर 2019

प्राक्कथन

महिलाओं के संवैधानिक अधिकारों का रक्षोपाय करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 के अधीन जनवरी 1992 में एक कानूनी निकाय के रूप में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी। अपने अधिदेश को ध्यान में रखते हुए, आयोग ने समय समय पर लिंग जागरूकता एवं महिलाओं के अधिकारों के संबंध में समाज में संवेदनशीलता के विभिन्न पहलुओं को प्रस्तुत करते है। साथ ही यह महसूस किया गया है कि लिंग आधारित भेदभाव, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र और समाज के प्रत्येक भाग में, प्रतिदिन कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थल पर प्रभाव डालता है।

आयोग का यह विश्वास है कि विद्यालय स्तर पर लिंग संवेदनशीलता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम आरंभ करने से किशोर एवं किशोरियों के बीच समानता, समावेशी, और विविधता के मूल्य उनको समझाना आसान होगा, जो कि स्वस्थ समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है। इसके अतिरिक्त महिलाओं से संबंधित कानूनों की जानकारी और लिंग संवेदनशीलता न केवल युवाओं के संतुलित विकास के लिए महत्वपूर्ण है अपितु इससे विद्यार्थियों को सही उपयोगिता, आत्म अनुशासन और राष्ट्रीय भावना को समझने में भी सहायता मिलेगी।

केंद्रीय विद्यालय संगठन के सहयोग से राष्ट्रीय महिला आयोग, दिल्ली क्षेत्र में केंद्रीय विद्यालयों के 11वीं एवं 12वीं कक्षा में विद्यार्थियों के लक्षित समूह के लिए लिंग संवेदनशीलता एवं विधिक जागरूकता कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए एक प्रायोगिक कार्यक्रम, आरंभ कर रहा है।

योजना के अनुसार आयोग ने लिंग संवेदनशीलता पर एक पुस्तिका तैयार करने का विनिश्चय किया। तद्नुसार आयोग ने एक ऐसी विशेषज्ञ समिति का गठन किया जो लिंग अध्ययन के क्षेत्र में विशेषज्ञ हो, समिति में निम्नलिखित विशेषज्ञ हैं:-

1. प्रो. (डा.) सबीहा हुसैन, प्रोफेसर एवं निदेशक, सरोजिनी नायडू सेंटर फॉर वुमेन्स स्टडीज, जामिया मिलिया इस्लामिया, नई दिल्ली
2. सुश्री सुनीता धर, जागौरी
3. डा. इलिना सामन्तराय, वी.वी. गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान, नोएडा, उत्तर प्रदेश

समिति ने 11वीं एवं 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के लिए लिंग संवेदनशीलता के लिए सामग्री तैयार की है जिससे कि विद्यालय के किशोर/किशोरी विद्यार्थियों को इस संकलन के माध्यम से लिंग साम्या से परिचय कराया जा सके जिससे कि वे लिंग साम्या, रवैया और व्यवहार, जो इस पीढ़ी की

जानकारी के समझने के लिए उचित है, उसे समझ सके और 11वीं और 12वीं कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच लिंग आधारित हिंसा का निवारण किया जा सके।

यह पुस्तिका समिति द्वारा तैयार किए गए संकलन पर आधारित है और राष्ट्रीय महिला आयोग ऐसे जटिल विषय को एक सरल तरीके में प्रस्तुत करने के लिए समिति के सदस्यों के प्रयासों की सराहना करता है।

आयोग आशा करता है कि विद्यार्थी यह सामग्री उपयोग और रूचिकर प्रतीत होगी। यह सरल साहित्य लिंग मुद्दों पर आधारित है। साथ ही उद्देश्यपूर्ण एवं तर्क संगत रूप से युवाओं के लिए यह सामग्री ज्ञानवर्धक साबित होगी और लिंग संतुलित समाज की ओर हमें अग्रसित करने में सहायक होगी।

****

अनुक्रमणिका

क्रम.सं.	विषय	पृष्ठ
1.	प्रस्तावना	01
2.	स्त्री-पुरूष भेद बनाम लिंग	02-04
3.	लिंग की सामाजिक संरचना	05-09
4.	लिंग भूमिका	10-12
5.	लिंग रूढिवादिता	13-16
6.	लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन	17-20
7.	पितृसत्ता	21-25
8.	पुरूषत्व	26-30
9.	लड़कियों/महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का अंत करना: उनकी सुरक्षा और अधिकारों में बढ़ोत्तरी	31-34
10.	लिंग समानता	35-39
11.	उद्धरण	40

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

प्रस्तावना

लिंग संवेदनशीलता से संबंधित मॉड्यूल लिंग जागरूकता पर जानकारी का एक ऐसा संकलन है जिसमें अन्य लिंग संबंधित शब्दावली को परिभाषित करते हुए स्त्री–पुरूष भेद और लिंग के बीच जो अंतर है उसे स्पष्ट किया गया है। मॉड्यूल में लिंग और अन्य लिंग संबंधित शब्दावली के संबंध में सामाजिक रूप से जो अर्थान्वयन किया जाता है तथा इस बाबत लोगों को संवेदनशील बनाने के लिए शिक्षा की जो महत्वपूर्ण भूमिका है और उनके विचारों में किस प्रकार बदलाव लाया जा सकता है उसे स्पष्ट किया गया है।

हमारे संविधान के दो मूल पहलूओं अर्थात् समानता और अविभेदकारी धारणाओं को बेहतर रूप से समझने के लिए स्त्री–पुरूष भेद और लिंग, लिंग की भूमिका, लिंग के संबंध में स्थिर धारणा, लिंग आधारित श्रम विभाजन, लिंग आधारित हिंसा, पुरूषत्व, पितृसत्ता, लिंग समानता और इसी प्रकार के अन्य शब्दों के बीच मौलिक धारणाओं को समझने की आवश्यकता है।

इन धारणाओं को समझना इसलिए भी आवश्यक है क्योंकि 'लिंग संबंधी प्रश्न न केवल महिला और पुरूष के बारे में है और न ही इस बारे में है कि वे एक दूसरे को कैसे प्रभावित करते हैं (लिंग संबंधित प्रश्न, मानव विकास रिपोर्ट 2000)[1] अपितु इन धारणाओं को समझने से समाज में व्यापत लिंग पूर्वाग्रहों को कम करने के लिए लोगों को संवेदनशील बनाने में सहायता मिलेगी और लड़कियों को सशक्त बनाने में भी सहायता मिलेगी तथा लड़कियां और महिलाएं अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकेगी।

इस मॉड्यूल का उद्देश्य व्यापत लिंग असमानता की बाबत नवयुवतियों और नवयुवकों के बीच संवेदनशीलता के बारे में जानकारी प्रदान करना है। इस प्रकार की जानकारी ग्रहण करने के पश्चात् नौजवानों के बीच लिंग आधारित हिंसा के संबंध में उनके व्यवहार में परिवर्तन आएगा और इससे उन्हें संवेदनशील बनाने में सहायता मिलेगी।

[1] http:hdr.undp.org/en/content/human-development-report-2000

अध्याय 1

स्त्री-पुरूष भेद बनाम लिंग

उद्देश्य:

- ***विद्यार्थियों को स्त्री-पुरूष भेद और लिंग के बारे में उनकी सोच को समर्थ बनाना।***
- ***विद्यार्थियों के लिए स्त्री-पुरूष भेद और लिंग के बीच के फर्क को स्पष्ट करना।***
- ***लिंग से संबंधित धारणा के बारे में जो समझ है उसमें बढ़ोत्तरी करना।***
- ***ऐसे मुद्दों के संबंध में विद्यार्थियों के धीरज स्तर को बढ़ाना।***

व्यष्टि अध्ययन:

1. हाई स्कूल बास्केटबॉल कोच जिसकी आयु 26 वर्ष है, विवाहित है किंतु बच्चे नहीं है। उसने हाई स्कूल और कॉलेज में बास्केटबॉल खेली है और वह शारीरिक शिक्षा का प्रमुख है। वह पियानो बजाना पसंद करता है और चित्रकारी भी करता है।
2. वास्तुकार है, 32 वर्ष की आयु है, विवाहित है और 2 बच्चे है। स्कींग और स्केटिंग करना पसंद है और अकसर सप्ताह के अंत में वर्मोंट जाता है। यूएफओ अपरहण और मनोवैज्ञानिक घटनाओं को व्यापक रूप से पढ़ता है।

यह व्यक्ति कैसे होंगे और क्यों होंगे तुम इन व्यक्तियों के बारे में क्या सोचते हो? क्या तुम्हारी यह प्रतिक्रिया है कि बास्केटबॉल का कोच एक ऐसा लंबा हृष्ट-पुष्ट व्यक्ति होगा जो टी-शर्ट और स्वेट पेंट पहनता होगा? क्या तुम यह कल्पना करते हो कि वास्तुकार जो वर्मोंट जाता है वह बहुत सुंदर परिधान धारण करता होगा?

i. परिभाषा: स्त्री-पुरूष भेद (Sex)

साधारणतय: 'स्त्री-पुरूष भेद' पुरूष और महिला के बीच जैविक फर्क (Biological difference) है, जैसे कि उनके बीच जननेद्रियों और आनुवंशिक रूप से फर्क होता है। और इसलिए उनकी शारीरिक रचना और शरीर विज्ञान के बीच फर्क है।

तथापि, एक और वर्ग होता है जिसे 'मध्यलिंगी' (Intersex) कहा जाता है। साधारण रूप से इस पद का उपयोग ऐसे विभिन्न स्थितियों के लिए किया जाता है जिसमें कोई व्यक्ति ऐसे प्रजनन या लैंगिक शरीर रचना के साथ पैदा होता है जो महिला या पुरूष की परिभाषाओं के अंतर्गत नहीं आता है। उदाहरणार्थ

कोई व्यक्ति बाहर से दिखने में महिला प्रतीत होती है किंतु अंदर से अधिकतर उसकी शारीरिक रचना पुरूष की होती है।

ii. परिभाषा: लिंग (Gender)

लिंग की कार्यशील परिभाषा: व्यक्ति नर या मादा के रूप में पैदा होते हैं किंतु लड़की या लड़का कहा जाता है और वे महिला और पुरूष के रूप में बड़े होते हैं। उन्हें उनके अनुरूप उपयुक्त व्यवहार और अभिवृत्ति, भूमिका और क्रियाकलापों के बारे में सिखाया जाता है कि उन्हें अन्य लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना चाहिए। उनको जो व्यवहार सिखाया जाता है उससे उनके लिंग की पहचान होती है और उनकी लिंग की भूमिकाएं अवधारित होती है।

किसी व्यक्ति के स्त्री-पुरूष भेद (Sex) के आधार पर उनकी भूमिका, कसौटियां और प्रत्याशा को लिंग (Gender) निर्देशित करता है। यह एक लड़के और लड़की किसी पुरूष तथा किसी महिला की सामाजिक, सांस्कृतिक परिभाषा है। सामाज द्वारा न केवल उनकी जिम्मेदारियों को तय किया जाता है अपितु समाज (कमला भसीन) द्वारा मानकों/मूल्यांकनों, पोशाक निर्धारण, रवैया, अवसर, अधिकार, आवागमन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राथमिकताओं और यहा तक कि महत्वाकांक्षा को भी अवधारित किया जाता है। यह एक समाज से दूसरे समाज में अलग अलग होती है और इन्हें बदला भी जा सकता है।

मुख्य संदेश:

- ***लिंग (Gender) और स्त्री–पुरूष भेद (Sex) दो अलग अलग अवधारणाएं और इनके अलग अलग अर्थ है।***
- ***जैविक रूप से स्त्री-पुरूष भेद अवधारित किया जाता है। यह जन्मजात होता है और इसे बदला नहीं जा सकता है (जब तक कि शल्य चिकित्सा द्वारा बदला न गया हो) और यह सर्वव्यापी है।***
- ***लिंग एक सामाजिक संरचना, विज्ञता, गत्यात्मक और प्रवर्तनीय है तथा संस्कृतियों के भीतर और उनके बीच अलग है।***

प्रयोग-1

विवरणी में दिए गए गुणों/व्यवहार की पहचान करें कि आपके कथन के अनुसार यह लिंग या स्त्री-पुरूष भेद है और कारण भी बताएं:

गुण/व्यवहार	स्त्री–पुरूष भेद	लिंग	कारण
पुरूषों को लाड़ प्यार की आवश्यकता नहीं होती है और वे महिलाओं के मुकाबले कम संवेदनशील है।			

भारत में अधिकतर ड्राइवर पुरूष है			
महिलाएं बच्चों को जन्म देती है			
बच्चों की देखभाल और पालन पोषण करना महिलाओं की जिम्मेदारी है			
केवल महिलाएं बच्चों को स्तनपान करा सकती है			
पुरूषों की मूंछे होती हैं			
महिलाएं अधिक भार नहीं उठा सकती हैं			
महिलाएं रात में अपने घर से बाहर काम करने के लिए डरती हैं			
युवास्था में पुरूषों की आवाज भारी हो जाती है			
महिलाएं भावुक होती है और पुरूष युक्तिसंगत			
अधिकतर महिलाओं के बाल लंबे होते है और पुरूषों के छोटे होते हैं			
अधिकतर वैज्ञानिक पुरूष हैं			
नैसर्गिक रूप से महिलाएं खाना बनाती हैं।			

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय 2

लिंग की सामाजिक संरचना[2]

(Social Construction of Gender)[2]

उद्देश्य:

- *विद्यार्थी को लड़कों/पुरूषों या लड़कियों/महिलाओं पर थोपे गए अलग अलग व्यवहार कसौटियों को समझने में समर्थ बनाना।*
- *इन व्यवहार को प्रवृत्त और लागू करने के स्रोतों की पहचान करना।*
- *लड़की/महिलाओं, लड़कों/पुरूषों के लिए अलग अलग व्यवहार के परिणामों को समझना।*

हमें अकसर यह बताया जाता है कि लड़का और लड़की अलग होते हैं। समाज में उनकी अलग अलग भूमिका होती है तथा घर और समाज से उन्हें अलग अलग बातें सीखने होती है।

- कुछ लोग कहते है कि लड़की वह होती है जिसके बाल लंबे होते हैं
- किंतु ऐसे भी लोग होते है जिनके बाल लंबे होते हैं
- **और वह लड़का होता है**

जागौरी (1997), पृष्ठ 4 पर बिंदिया थापर द्वारा एक छवि उद्धत की गई

- कुछ लोग कहते हैं कि जो व्यक्ति आभूषण पहनता है वह लड़की होती है
- किंतु कुछ ऐसे भी व्यक्ति है जो आभूषण भी पहनते हैं
- और वह लड़का है.....

[2] कमला भसीन (जागौरी, 1997) की अभिव्यक्ति

जागौरी (1997) पृष्ठ 6 पर बिंदिया थापर द्वारा उद्दत छवि 2

- कुछ लोग कहते हैं कि लड़कें वे होते है जो निक्कर पहनते हैं और पेड़ पर चढ़ते हैं। किंतु यहां पर ऐसा व्यक्ति है जो निक्कर पहनता है और बहुत तेजी से पेड़ पर चढ़ता है।
- **वह एक लड़की है.....**

जागौरी (1997) पृष्ठ 8 पर बिंदिया थापर द्वारा उद्दत छवि 3

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

कुछ लोगों का यह मानना है कि लड़कियों का यह कर्तव्य होता है कि वह घर के कार्य, खाना बनाने और सफाई करने में अपनी मां की सहायता करें।

- किंतु मैं ऐसे व्यक्ति को जानती हूं जो घर के सफाई करने और सब्जी खरीदने में अपनी मां की सहायता करता है
- **और वह एक लड़का है.....**

जागौरी (1997) पृष्ठ 12 पर बिंदिया थापर द्वारा उद्दत छवि 4

- कुछ लोग कहते है कि माताएं सारे दिन काम करती हैं।

वे आराम नहीं करती है और यहां तक कि रविवार को भी काम करती है

किंतु हम ऐसे पिताओं को भी जानते हैं जो उस समय गर्म चाय बना कर देते हैं

जब माताएं आराम कर रही होती हैं और बच्चे पढ़ रहे होते हैं।

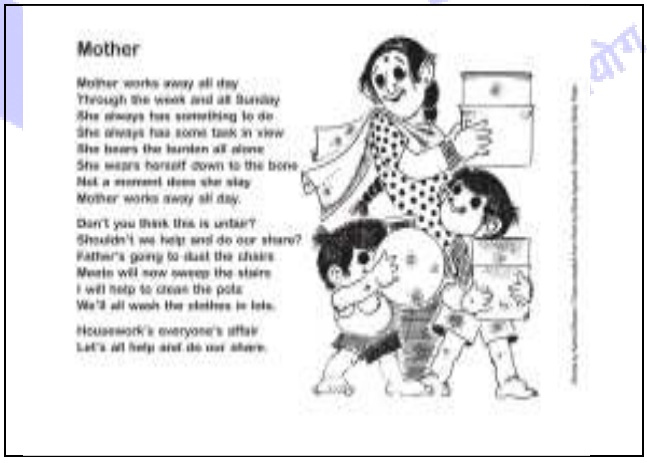

भसीन (2014), पृष्ठ में मिक्की पटेल द्वारा उद्दत और बीना अग्रवाल द्वारा हिंदी भाषा में अनुवादित, कमला भसीन द्वारा उद्दत किए गए शब्द छवि 5

- क्या अब तुम इस बात से सहमत हो कि लड़के और लड़कियां दोनों जीवन में एक जैसा काम कर सकते हैं?

  तथ्य यह है:

  लड़कियां लड़कों से कम नहीं हैं

  चाहे गाना गाना हो या पतंग उड़ानी हो,

  ऊचांईयों पर चढ़ना हो या वजन उठाना हो

Then what is a boy, and what is a girl?

तब लड़का और लड़की क्या है?

जागौरी (1997) पृष्ठ 21 पर बिंदिया थापर द्वारा उद्दत की गई छवि 6

लड़की होने से यह मतलब नहीं है कि उसे केवल घरेलू कार्य या अन्य व्यक्तियों की देखभाल करनी है लड़का होने का मतलब यह नहीं है कि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे निडर, बुद्धिमान और ताकतवर ही होगा।

इन गुणों को हमारे परिवार, विद्यालयों, समुदायें और इसी प्रकार अन्य संस्थाओं के द्वारा हमारे जीवन के विभिन्न प्रक्रमों पर हमें सिखाया जाता है।

किसी व्यक्ति का पालन पोषण ही यह अवधारित करता है कि वह कैसे बड़ा होगा और क्या बनेगा

मुख्य संदेश:

- *शिक्षा के विभिन्न स्तरों, जिसमें परिवार, विद्यालय, धर्म, समाज और व्यापक सामुदायिक स्तर शामिल है, के माध्यम से कोई व्यक्ति लिंग असमानता (Gender inequalities) सीखता है।*

- **क्रियाकलाप:**

1. आप अपने जीवन की विभिन्न प्रक्रमों के बारे में सोचें की कब आपसे यह कहा गया कि आप लड़की/महिला या एक लड़के/आदमी की तरह व्यवहार करे।
2. अपने मित्रों के साथ इन व्यक्तिगत अनुभवों को सांझा करे।
3. जब आप इस अनुभव से गुजरे तब आपने कैसा महसूस किया या आपने कब अलग तरीके से काम किया इसको लिखें।

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय 3
लिंग भूमिका (Gender Roles)

उद्देश्य:

- ***कैसे लिंग भूमिका के कारण श्रम का लिंग आधारित विभाजन (Gender division of labour) होता है, को समझना।***
- ***पुरूषों और महिलाओं के गुणों के रूढियों के आधार पर लिंग भेदभाव (Gender discrimination) को समझना।***
- ***पुरूष और महिलाओं के लिए हावी लिंग भूमिका के संबंध में सामाजिक दवाब, फायदें और उसकी कीमत को समझना।***

लिंग भूमिका महिलाओं और पुरूषों में जन्मजात व्यवहार, कृत्य और जिम्मेदारियों का एक समुच्चय है जिसे सभ्यता पुरूष और महिलाओं के लिए उपयुक्त रूप से परिभाषित करती है। इस प्रकार लिंग कृत्यों में व्यवहार और ऐसी रूचियां सम्मिलित है जो पुरूष या महिला होने के कारण उनमें जन्मजात है।

हमारा सांस्कृतिक विश्वास इस बात से पुख्ता हो जाता है कि पुरूष और महिलाओं का स्वीकार्य व्यवहार क्या होना चाहिए। इसमें हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या पसंद है और हम इस प्रकार व्यवहार करते हैं शामिल है। विभिन्न सामाजिक अभिकर्ताओं में माता-पिता, अध्यापक, धार्मिक नेता और मीडिया शामिल है।

समाज में व्याप्त प्रणालियों के विभिन्न स्तरों पर और सामाजिककरण प्रक्रियों के मान्यताओं के माध्यम से, घरेलू संरचना, संसाधनों तक पहुंच, वैश्विक अर्थव्यवस्था का विनिर्दिष्ट प्रभाव और अन्य स्थानीय सुसंगत बातें लिंग भूमिकाओं को सुदृढ बनाती है।[3]

यद्यपि समयानुसार हमारे समाज में गहराई तक लिंग भूमिकाओं के संबंध में जो सोच है उसमें परिवर्तन हुआ है क्योंकि सामाजिक मूल्यमान्यताएं और कसौटियां एक जैसी नहीं रहती है।

मुख्य संदेश:

- ***विभिन्न सामाजिक अभिकरणों के माध्यम से सामाजिककरण की प्रक्रिया द्वारा लिंग भूमिकाओं के बारे में समझा जा सकता है।***
- ***स्त्री और पुरूष में फर्क है किंतु यह फर्क जैविक रूप से विद्यमान है और सांस्कृतिक रूप से इसका विस्तार किया गया है।***
- ***लिंग भूमिकाएं सदैव एक जैसी नहीं रहती है और संस्कृति, समाज और इतिहास के कारण में इन में परिवर्तन होता रहता है।***

[3] यूएन वीमेन ट्रेनिंग सेंटर गिलोसिरी (संयुक्त राष्ट्र महिला प्रशिक्षण केंद्र शब्दावली)
https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=36&mode=letter&hook=G&sortkey&sortorder&fullsea rch=0&page=1

प्रयोग 1

निम्नलिखित से लड़कों/पुरूषों/लड़कियों/महिलाओं की भूमिका से जुड़ी हुई वस्तुओं, कृत्य की पहचान करें:

वस्तुएं	**लड़का/पुरूष**	**कृत्य**	**लड़का/पुरूष**	**भूमिका**	**लड़का/पुरूष**	**लड़की/महिला**
कार की चाबियॉं बाईक (मोटर साइकिल) ऑटो रिक्शा पेचकस स्टॉव टाई लिपिस्टिक झाड़ू		खाना पकाना कपड़ें धोना समाचारपत्र पढ़ना बच्चों को स्तन पान कराना बच्चों को नहलाना बिजली के बल्ब को लगाना स्वेटर बुनना नांव चलाना झाड़ू-पोंछा करना		रसोइया दर्जी पायलट गृहणी कमाने वाला नर्स माता नाई राजनैतिज्ञ परिवार का मुखिया पलंबर		

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

प्रयोग-2

लड़कों/पुरूषों/लड़कियों/महिलाओं की जैवीय और सामाजिक रूप से अवधारित भूमिकाओं (biologically and socially determined roles) को निम्नलिखित तालिका में भरें

सुपुर्द	जैवीय रूप से अवधारित भूमिका	सामाजिक रूप से अवधारित भूमिका
घर पर		
कार्यस्थल पर		
समाज में		

निम्निलखित बिंदुओं पर विचार करें:

- हम क्यों लड़कियों/महिलाओं और लड़कों/पुरूषों के साथ कुछ वस्तुओं/कृत्यों/भूमिकाओं को संबद्ध करते हैं?
- ऊपर जिन कृत्यों का उल्लेख किया गया है उनको कोई जैवीय आधार है या नहीं?
- ऐसे कौन से कृत्य है जिनका कोई जैवीय आधार नहीं है फिर भी उन कृत्यों का निष्पादन या तो पुरूषों द्वारा या केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है।

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय 4

लिंग रूढिवादिता

(Gender Stereotypes)

उद्देश्य:

- ***उन गुण/लक्षणों के बारे में सोचना जिनके आधार पर विद्यार्थी लड़का या लड़की का उल्लेख करते हैं।***
- ***'रूढिवादी' विचारों के बारे में पढ़ना और लिंग रूढिवादिता उचित है या अनुचित इस संबंध में विचार करना।***
- ***लिंग कसौटियों के आधार पर सामाजिक रूप से परिभाषित परिभाषा के अनुरूप नहीं समझने के संबंध में वह कैसा महसूस करते है, इस बाबत उन्हें समझाना।***

बहुत छोटी उम्र से व्यक्तियों के मन में लिंग रूढिवादिता के बारे में उन्हें समझाया जाता है इस प्रकार उनकी लिंग पहचान प्रभावित होती है जिसे वह स्वयं पहचान सकते है।

लिंग रूढिवादिता अधिकतर सामाजिक परिस्थितियों से उद्भुत होती है। बालकों को लोकप्रिय होने के लिए बहुत अधिक दवाब सहना पड़ता है जिससे कि वह अपने समकक्ष समूह में घुल मिल सके। वास्तविक सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार कार्य करना सुरक्षित है यह एक ऐसा नियंत्रित कक्षा का वातावरण होता है जिसमें विद्यार्थियों को ठीक प्रकार से तैयार किया जाता है जिससे कि वह आने वाली परिस्थितियों का सामना कर सके। जिससे बालक लिंग रूढिवादिता का सामना कर सके और उसे यादगार बनाने में अपनी स्वयं की भूमिका के बारे में सोच सके।

बालकों के साहित्य में लिंग रूढिवादिता बहुत प्रचलित है। बालकों की पुरानी पुस्तकों में और यहां तक कि सम-सामायिक कहानियों में अधिकतर लड़के और लड़कियों को लिंग कसौटियों में परिभाषित विनिर्दिष्ट सामाजिक रूप के निबंधनों के अनुसार वर्णित किया जाता है।

परिभाषा

लिंग रूढिवादिता ऐसा विचार है जो पुरूषत्व और नारीत्व के बारे में लोगों की अवधारणा है: जैसे कि सभी पीढ़ियों के पुरूष और महिलाएं कैसी होंगी और वह क्या करने में समर्थ हैं।

लिंग रूढिवादिता लिंग के प्रति साधारण रूप से व्यापकीकरण है और व्यक्तिगत रूप से या समूह के बीच फर्क और उनकी भूमिका को दर्शित करता है।

लिंग रूढिवादिता तब बहुत अधिक नुकसानदायी जाती है जब किसी व्यक्ति के जीवन की रूचियों, जैसे कि प्रशिक्षण और व्यावसायिक रास्ते को और भावी जीवन की योजनाओं को सीमित कर दिया जाता है।

तीन पी (3Ps) के माध्यम से पुरूष रूढिवादिता को वर्णित किया जा सकता है:

प्रदाता, संरक्षक और जनक (Provider, Protector and Procreator)
महिला रूढिवादिता: (Female Stereotypes)
मातृत्व और पत्नीत्व, पालन पोषण करने तक उसका संसार सीमित है (उसके अपने जीवन से पहले उसके परिवार का कल्याण, ममत्व, करूणामय, देखभाल, भरण पोषण और सहानुभूति प्रमुख है)।

मुख्य संदेश

लिंग रूढिवादिता नुकसानदायक है क्योंकि इससे उनके मन में एक बहुत साधारण सा विचार आता है और वह यह कहने का प्रयास करते हैं कि समूह में प्रत्येक व्यक्ति ऐसा ही करेगा।

लिंग रूढिवादिता कभी कभी लोगों को ऐसे कार्य करने से रोक देती है जो वह करना चाहती है या वास्तव में वैसा करने की उनकी इच्छा है। वे लोगों को ऐसा करने के लिए मजबूर करते हैं और उसकी सराहना करते है जो वह पसंद करते हैं।

कहावत, गाने, युक्तियां, मीडिया, धर्म, संस्कृति, प्रथा, शिक्षा, नाटक आदि के माध्यम से इसका अर्थान्वयन (Constructed) करते हैं।

प्रयोग 1

लिंग रूढिवादिता की पहचान करे और यह उल्लेख करे कि क्या इसका अर्थान्वयन जैवीय या सामाजिक रूप से (biologically or socially constructed) किया जा सकता है या नहीं

लिंग रूढिवादिता	लड़कियां	लड़के	जैवीय	सामाजिक
रंग- गुलाबी, बैंगनी				
गुडियों के साथ खेलना				
रेसिंग कारें पसंद करना				
फूल पसंद करना				
मोटर साइकिल पसंद करना				

ट्रक, गणित				
रंग: नीला, हरा				
अच्छी आंतरिक सज्जा				
बच्चों की देखभाल करना				
टैक्सी ड्राइवर				
एस्ट्रोनोट				
अधिक तर्क करना				
गुस्सा दिखाना				
अपने रंग रूप के बारे में कम चिंता करना				
प्राथमिक या नर्सरी अध्यापक, नर्स, गृहणी				
डाक्टर, प्रधानाचार्य, अग्निशामक				

प्रयोग 2

इस पिक्चर को देखें और सोचे की लिंग रूढिवादिता को समाप्त करने के लिए कुछ चुनौतियां है या नहीं

छवि 8[4]

[4] https://essayclick.net/blog/gender-role-essay

प्रयोग- 3

लिंग रूढिवादिता: सही उत्तर पर निशान लगाएं

1. लड़कियां निष्ठावान और सुंदर होनी चाहिए और उन्हें रोने दिया जाना चाहिए। (सत्य/असत्य)
2. लड़कों से यह आशा की जाती है कि वे बहादुर होंगे और रोएंगे नहीं। (सत्य/असत्य)
3. महिलाएं बेहतर गृहणियां होती है और पुरूष मशीनों पर बेहतर काम करते हैं। (सत्य/असत्य)
4. लड़के गणित में बेहतर होते हैं और लड़कियां नर्सिंग के लिए अधिक उपयुक्त हैं।(सत्य/असत्य)
5. महिलाओं से साधारण रूप से यह अपेक्षा की जाती है कि वह स्त्रियों की भांति पोशाक पहनेगी। (सत्य/असत्य)
6. महिलाएं विनम्र, उदार और पालन पोषण करने वाली होनी चाहिए। (सत्य/असत्य)
7. पुरूषों के प्रति यह अपेक्षा की जाती है कि वह सामान्यता बलवान, अति महत्वाकांक्षी और दिलेर होंगे। (सत्य/असत्य)
8. महिलाएं अच्छी ड्राइवर नहीं होती हैं। (सत्य/असत्य)
9. पुरूष डाइपर (Diaper) नहीं बदल सकते है। (सत्य/असत्य)
10. महिलाएं बेहतर देखभाल करने वाली होती है। (सत्य/असत्य)
11. पुरूष अधिक शक्तिशाली है। (सत्य/असत्य)

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय 5

लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन

(Gender Division of Labour)

छवि 9[5]

छवि 10[6]

परिभाषा

किसी व्यक्ति के लिंग के आधार पर उसके उत्पादन कार्य (समता) की प्रक्रिया को अलग करना लिंग आधारित श्रम विभाजन कहा जाता है। पुरूष और महिलाओं के बीच संबंधों द्वारा सामाजिक विभेद के कारण और किसी व्यक्ति के लिंग के अनुसार उसके कृत्यों और भूमिकाओं की वजह से ऐसा किया जाता है। एक संस्कृति से दूसरी संस्कृति में इसका रूप अलग अलग होता है।

महिला और पुरूषों दोनों की कई प्रकार के कार्यों में उनकी अलग अलग भूमिका होती है। इसमें उत्पादन, प्रजनन, आवश्यक घरेलू और सामाजिक सेवाएं तथा समुदाय प्रबंधन और राजनीतिक क्रियाकलाप शामिल है।

उत्पादन कार्य (Productive work): यह कार्य बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि आर्थिक संवर्धन के निबंधनों के अनुसार विकास को भी मापा जाता है और इसलिए कार्य के साथ आर्थिक पारिश्रमिक या आर्थिक मूल्यांकन (Monetary remuneration or monetary value) जुड़ा हुआ है। अधिकतर महिलाओं द्वारा किए जाने वाले कार्य को पुनरूत्पादन कार्य के रूप में देखा जाता है क्योंकि उससे उनको जो आर्थिक लाभ पहुंचता है उसे उनके परिवार के पुरूषों द्वारा संग्रहित किया जाता है। पुरूष और स्त्री दोनों ही उत्पादन क्रियाकलापों में लगे रहते हैं। महिलाओं द्वारा किए गए कार्य को कम मूल्यांकन किया जाता है।

पुनरूत्पादन कार्य (Reproductive work): इसमें न केवल बच्चों को जन्म देना है अपितु स्तनपान, कपड़ें आदि द्वारा बच्चों की देखभाल भी करना है और विस्तारित कौटुंबिक कार्य और मांग के अनुसार देखभाल

[5] https://www.nytimes.com
[6] https://www.nytimes.com

करना भी है जबकि स्पष्ट रूप से आर्थिक रूप से इस कार्य के लिए कोई लाभ नहीं मिलता है। सामान्यता इस प्रकार के कार्य को मान्यता प्राप्त नहीं है और न ही सकल राष्ट्रीय उत्पादन (जीएनपी) में इस कार्य पर विचार किया जाता है। अधिकतर महिलाएं और लड़कियां संसार के ज्यादातर भागों में प्रजनन कार्य करती है।

असंदत्त देखभाल कार्य(unpaid care work): इसमें ऐसे माल का उत्पादन या घरेलू या समुदायिक सेवाएं शामिल है जिन्हें किसी बाजार में बेचा नहीं जा सकता है। घर में असंदत्त देखभाल कार्य में घरेलू कार्य (खाना पकाना, साफ-सफाई, कपड़ें धोना और पानी और ईंधन इकट्ठा करना) में शामिल है। असंदत्त देखभाल कार्य के उत्पादों का फायदा समाज उठाता है जैसे कि पड़ोसी या स्वैच्छा से किसी निराश्रित आश्रय के लिए खाना बनाना। असंदत्त देखभाल कार्य के अंतर्गत अन्य व्यक्तियों का पालन पोषण (बच्चों की और बुर्जुग तथा बिमारों की देखभाल करना) करने से संबंधित क्रियाकलाप शामिल है।

मुख्य संदेश:

महिलाओं और पुरूषों तथा लड़कियों और लड़कों के बीच कार्य का आवंटन संस्थानिक नियमों, कसौटियों और परिपाटियों से शासित होता है और लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन किया जाता है जो कि काफी लंबे समय से चल रहा है और यह विषय निरंतर रूप से विचाराधीन है।

लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन लिंग असमानता, इसके आर्थिक पहलुओं और लिंग पहचान के सामाजिक अर्थन्वयन दोनों को केंद्रीय बिंदु है।

लिंग आधार पर श्रम विभाजन में सांस्कृतिक फेरबदल है।

प्रयोग 1

निम्नलिखित चित्र को देखें और विचार करें कि आयशा अकेलो द्वारा किए जा रहे कार्य को करने में सक्षम है या नहीं?

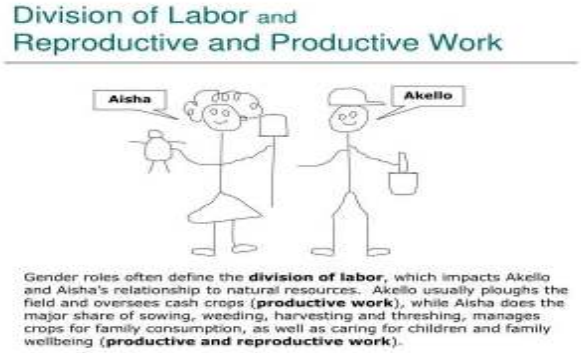

श्रम का विभाजन और पुनरूत्पादन और उत्पादक कार्य

अकसर लिंग भूमिकाएं श्रम विभाजन को परिभाषित करती है जिससे प्राकृतिक संसाधनों पर अकेलो और आयशा के संबंधों पर असर पड़ता है। सामान्य रूप से अकेलो खेत में हल चलाता है और नकद फसल उगाता है (उत्पादक कार्य) जबकि आयशा परिवार के उपभोग के लिए बीज बोती है, खरपतवार निकालती है, फसल काटती है और उसकी कुटाई करती है तथा बच्चों की और परिवार की देखभाल भी करती है (उत्पादक और पुनरूत्पादन कार्य)।

छवि 11[7]

[7] https://slideplayer.com/slide/711510/

प्रयोग-2

चित्र को देखें और उत्तर दें कि आप इससे सहमत है या नहीं? यदि नहीं तो क्यों?

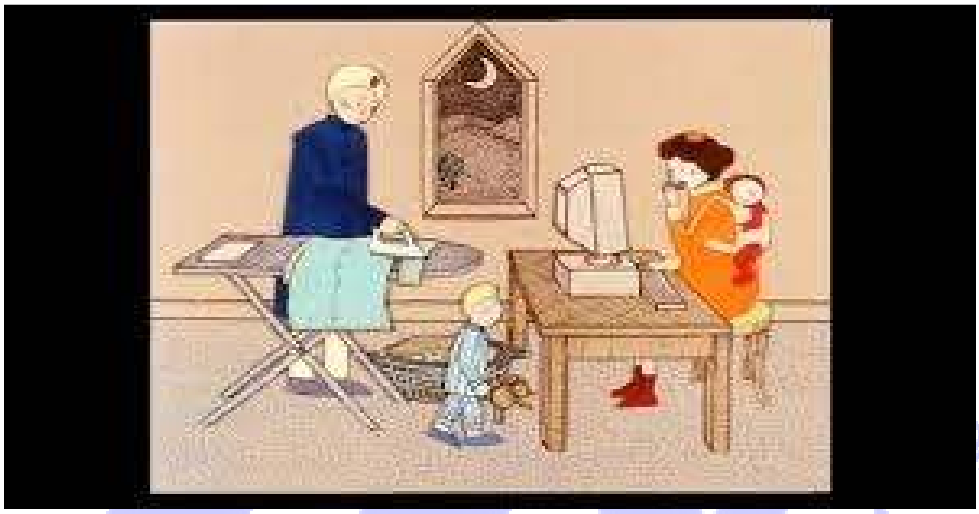

छवि 12[8]

प्रयोग-3

समाज द्वारा प्रत्याशित लिंग आधारित अनन्य कार्य की पहचान करें:

कार्य	लड़का/पुरूष	लड़कियां/महिलाएं	दोनों	कारण
बालक/छोटे भाई बहनों की देखभाल करना				
खान में काम करना				
भारी और खतरनाक कार्य				
विद्युतकर्मी/पलंबर				
निर्माण मजदूर				
घर को साफ सुथरा रखना				
खाना परोसना और देना				
कठोर कार्य				

[8] Source: http/uerria.witclub.info/dir/

रिक्शा चलाना				
नर्सरी/एलीमेंट्री विद्यालयों में पढ़ाना				
नर्सिंग				

प्रश्न:

प्रश्न 1. क्या पुरूषों और महिलाओं के लिए प्रत्येक समाज में अलग अलग कार्य है?

प्रश्न 2. क्या महिलाएं और पुरूष इसी प्रकार कार्य का विभाजन करती है?

प्रश्न 3. क्या लिंग के आधार पर श्रम का विभाजन जैवीय आधार पर किया गया है?

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय-6

पितृसत्ता

उद्देश्य:

- ***विद्यार्थी पितृसत्ता के सिद्धांत और लिंग समानता से इसका क्या संबंध है उसको समझने में समर्थ हो सके।***

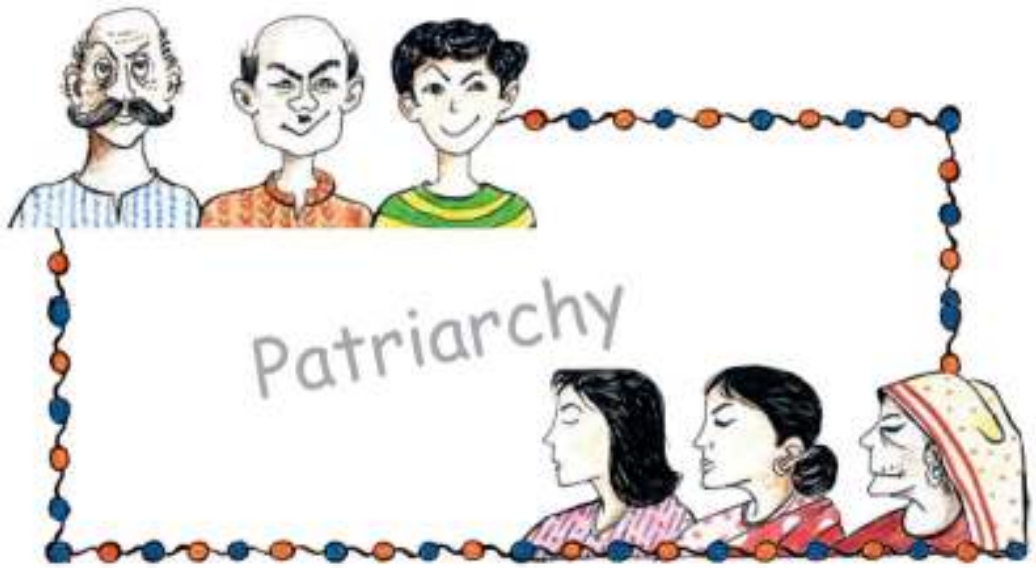

- **भसीन-यूएनएफपीए (2016), पृष्ठ 41 पर किशोर/किशोरियों के साथ बातचीत करके वंदना बिष्ट और सुरभि सिंह द्वारा उद्दत और डिजाइन की गई छवि 12**

पितृसत्ता एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था है जहां पुरूषों/लड़कों को श्रेष्ठतर समझा जाता है और वह महिलाओं/लड़कियों के मुकाबले अधिक शक्तिशाली होते हैं। हमारे समाज की सभी संस्थाओं (परिवार, समुदाय, संस्कृति, अर्थव्यवस्था) में ऐसी सोच व्याप्त है। पुरूषों को घर का मुखिया माना जाता है यद्यपि ऐसे भी कई परिवार है जहां पर महिलाएं, जिसमें एकल महिला भी शामिल है, घर की मुखिया है।

पितृसत्ता एक सामाजिक संरचना (Social construction) है और पुरूष और महिलाओं के बीच जैवीय भेद के आधार पर इसका मूल्यांकन और विवक्षा की जाती है तथा यह संस्कृति की देन है।

पितृसत्ता को श्रम, प्रजनन शक्ति और पुरूषों के फायदें के लिए महिलाओं की काम वासनाओं का नियंत्रण करने के रूप में परिभाषित किया गया है। यद्यपि पितृसत्ता समाज के विभिन्न माध्यम से संचालित होती है, आमतौर पर इस पद से अभिप्रेत है महिलाओं का दमन/शोषण करना। सामाजिक प्रणाली को बढ़ावा देने और उसको बनाए रखने के लिए कैसे लिंग के आधार पर योगदान किया जाता है उसके परिणामस्वरूप पितृसत्ता लागू की गई है। यह एक ऐसी सामाजिक प्रणाली है जो पुरूष प्रधान समाज जहां जीवन के अधिकतर पहलुओं में पुरूषों को उच्चतर स्थिति और अधिक शक्ति प्राप्त होने के कारण अधिक फायदा मिलता है। केवल पुरूष ही परिवार के नाम को आगे बढ़ाते हैं, विरासत में संपत्ति पाते हैं और निर्णय करने में समर्थ होते हैं। पितृसत्ता द्वारा पुरूष और महिलाओं की भूमिका विहित की जाती है। पितृसत्तात्मक समाज द्वारा पुरूष और महिलाओं के लिए जो भूमिका विहित की गई है, वह आदर्श है और यह जीव विज्ञान द्वारा सर्जित नहीं है।

पितृसत्ता लड़कों/पुरूषों से भी प्रत्याशा करती है और उनकी पसंद और अभिव्यक्तियों को सीमित करती है- लड़के नृत्यक, संगीतकार, खाना बनाने वाला या दर्जी बनना मुश्किल से पसंद करते हैं। उन्हें बलवान और मर्दाना बनने के लिए जोर दिया जाता है। यहां तक कि आज भी हमारे समाज में विभिन्न कारणों से पुत्र को प्राथमिकता दी जाती है।

पितृसत्ता से जुड़ी हुई सोच से लड़कियां पर बहुत गहरा असर पड़ता है जैसे कि उन्हें क्या पहनना है, क्या कहना है, कहां जाना है, किससे मिलना है, इस प्रकार व्यापक रूप से उनकी पसंद सीमित हो जाती है। छोटी उम्र से उनकी सामाजिककरण जैसे कि उनकी स्वतता शरीर पर उनका नियंत्रण और उनके आवागमन पर टोकाटाकी होती है।

हमारे समाज में परिवर्तन आ रहा है और महिलाएं भी बाधाओं को तोड़ कर वैज्ञानिक, फाइटर पायलट, एथलीट, उद्यमी बन रही है फिर भी सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिक्षेत्र में परिवर्तन की मात्रा और दिशा ने अभी भी गति नहीं पकड़ी है।

लड़कियां और लड़कें बराबर होते हैं

संगत-एक्शन ऐड (2018) उसके लिए संपत्ति अभियान #के लिए सीजिया गुप्ता द्वारा डिजाइन किया गया और कमला भसीन द्वारा लिखा गया वाक्य छवि 13

मुख्य संदेश:

पितृसत्ता एक ऐसी संरचना है या ऐसी संस्था का निर्माण किया गया है जो आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से अधिक शक्ति प्राप्त करने से उन्हें वंचित करने के लिए उसमें भाग लेने या संपर्क करने से रोकती है।

पितृसत्ता एक ऐसी अन्यायपूर्ण सामाजिक पद्धति है जो महिलाओं का दमन, विभेद और उन्हें अधीनस्थ करती है।

हमें पितृसत्ता से जुड़ी हुई सोच को चुनौती देने की आवश्यकता है और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लड़कों और लड़कियों को समान अवसर, निर्णय लेने और स्वतंत्रता एकसमान रूप से प्राप्त है।

प्रयोग 1

सोचे- क्या आप इस पद्धति का अनुमोदन करते हैं? अपने अनुमोदन/अननुमोदन के कारणों को लिखें

क्या आप सोचते हैं कि इसे बदला जा सकता हैं? कैसे?

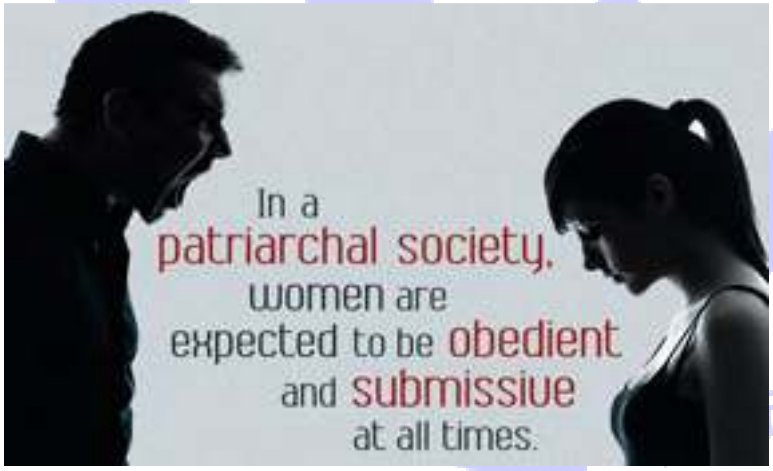

एक पितृसत्तात्मक समाज में यह प्रत्याशा की जाती है कि महिलाएं सदैव आज्ञाकारी और विनम्र हो।

छवि 15[9]

प्रयोग -2

विकल्प का चयन करें और इन विकल्पों को चुनने के लिए कारण बताएं:

[9] Sciencestruck.com

(क) छोटी उम्र से ही लड़कों को लिंग भेदभाव के संबंध में संवेदनशील बनाकर लड़कें और लड़कियों दोनों को समान अवसर प्रदान किए जाएं।

(ख) लड़कों/पुरूषों को यह शिक्षा प्रदान की जाएं कि वे सर्वोपरि है और उन्हें अधिक अवसर दिए जाने चाहिए।

(ग) लड़कियों को कम अवसर प्रदान करके उन्हें अधिक घरेलू कार्य सौंपे जाएं।

(घ) सभी बाहरी क्रियाकलापों में लड़कों को अधिक स्वतंत्रता और भाग लेने की स्वायत्ता दी जाएं।

प्रयोग 3

इस चित्र को देंखे और सोंचे:

लड़कियों/महिलाओं के पास सीमित विकल्प/अवसर क्यों है?

भसीन-यूएनएफपीए (2016), पृष्ठ 59 में किशोर/किशोरियों के साथ बातचीत करके वंदना बिष्ट और सुरभि सिंह द्वारा उद्दत और डिजाइन की गई छवि 16

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION

अध्याय *7*

पुरूषत्व

(Masculinity)

उद्देश्य:

- ***विद्यार्थी पुरूषत्व या 'सही मायनों में लड़का होने के संबंध में समाज के जो विचार है उसके अर्थ को समझ सकें।***
- ***लिंग समान संबंध निर्माण करने के लिए लड़कों में सकारात्मक व्यवहार को प्रोत्साहित करने के विभिन्न साधनों के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान करना।***

पुरूषत्व सामाजिक परिपाटियों और सांस्कृतिक प्रतिनिधित्व का एक ऐसा समुच्चय है जो पुरूष होने से संबंद्ध है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप से समाज और किसी समाज के भीतर पुरूषों के विभिन्न समूहों के बीच इसका अर्थ अलग अलग है। इसे (पुरूषत्व या पौरूष भी कहा जाता है) और यह लड़कों और पुरूषों के गुणों, व्यवहार और भूमिका से जुड़ा हुआ एक समुच्चय है। परंपरागत रूप से पुरूषत्व की विशेषता में ताकत, साहस, स्वतंत्रता, नैतृत्व और निश्चयात्मकता शामिल है। सामाजिक रूप से इस प्रकार अर्थन्वयन किया गया है।

प्रत्येक समाज अपने समाज और सांस्कृतिक मूल्यमानताओं के अनुसार पुरूषत्व पर अपनी राय रखता है और उसका अर्थन्वयन करता है। इस प्रकार पुरूषत्व का अर्थन्वयन करने के लिए समाज में उपयोग की जानी वाली पद्धतियां सदैव अलग अलग रही है।

मामला 1:

सोचों और जवाब दो

जोसेफ एक सज्जन व्यक्ति है। वह अन्य लड़कों के साथ लड़ना पसंद नहीं करता है। उसके साथ पढ़ने वाले साथी उसे छेड़ते है और उसी 'लड़की जैसा' कह कर पुकारते हैं।

- ***क्या सज्जन होना 'पुरूष' होने के लिए पर्याप्त नहीं है।***

हेमंत के एक मूवी में संवेदनशील प्रसंग को देखते हुए आंखों में आंसू आ गए। उसका भाई उस पर हंसना लगा और उसने कहा लड़कों को भावुक नहीं होना चाहिए।

- ***क्या लड़कों के लिए रोना 'नकारात्मक' आचरण है।***

मामला-2

एक घटना पर विचार करें:[10]

भसीन-यूएनएफपीए (2016), पृष्ठ 17 में किशोर/किशोरियों के साथ बातचीत करके वंदना बिष्ट और सुरभि सिंह द्वारा उद्दत और डिजाइन की गई छवि 17

सुमित और विनय ग्यारहवीं कक्षा में पढ़ते हैं तथापि सुमित विनय से एक साल छोटा है। पड़ोसी होने के नाते वह अच्छे दोस्त हैं। प्रत्येक शाम को वे स्थानीय बाजार में घूमने के लिए जाते हैं। विनय लड़कियों के प्रति आसक्त है और उनके बारे में बात करता है तथा उन्हें घूरता है। उसके लिए यह मस्ती है और वह अपने आप को छैला समझता है। सुमित के अंदर इस प्रकार के भाव नहीं है वह लड़कियों को छेड़ना नहीं चाहता है। विनय उसका मजाक उड़ाता है।

सोचों और जवाब दो:

1. ***विनय सुमित का मजाक क्यों उड़ाता है?***
2. ***अन्य दोस्तों की क्या प्रतिक्रिया है? क्या वह सुमित, या विनय का समर्थन करते हैं?और क्यों?***

पुरूषत्व की धारणा के बारे में जानकारी प्राप्त करने और उसका सामाजिक निर्वचन के पश्चात् अब हम विभिन्न प्रकार के पुरूषत्व के बारे में अध्ययन करेंगे।

1. **अभिभावी पुरूषत्व (Hegemonic Masculinity):** सांस्कृतिक रूप से अधिक प्रचलित है और अभिभावी पुरूषत्व का रूप है। विशेषताएं: विपरीत लिंग कामी, शारीरिक रूप से मजबूत और भावनाओं को दबाने वाला होता है।

[10] Breakthrough-SANAM workbook on masculinities by Urvashi Gandhi
http://menengage.org/wpcontent/uploads/2016/03/Breakthrough_SANAM-Masculinities-Workbook.pdf

2. **जटिल पुरूषत्व (Complicit Masculinity):** अभिभावी पुरूषत्व में नहीं आता है किंतु उसे चुनौती भी नहीं देता है।
3. **हाशिए पर पड़ा हुआ पुरूषत्व (Marginalised Masculinity):** हाशिए पर पड़ा हुआ पुरूषत्व इस प्रकार का पुरूषत्व होता है जिसमें किसी पुरूष की अभिभावी पुरूषत्व तक पहुंच नहीं होती है क्योंकि कतिपय गुणों जैसे कि उसकी जाति आदि के कारण ऐसा होता है।
4. **अधीनस्थ पुरूषत्व (Sub-ordinate Masculinity):** ऐसे पुरूषों के गुण अभिभावी पुरूषत्व के विपरीत होते हैं जैसे कि शारीरिक कमजोरी और भावनाओं को व्यक्त करना, उदाहरण जैसे कि नारी जैसे गुण वाला पुरूष और समलैंगिक पुरूष।

इसलिए 'असली मर्द' वह होता है जो शारीरिक रूप से बलवान और अति महत्वाकांक्षी हो। फिल्मों और विज्ञापनों में 'दिलेर और गुस्सैल पुरूष' की छवि दिखाई जाती है। लड़कें एक साथ मिलकर अन्य लड़कों और लड़कियों का मजाक उड़ाते हैं। ऐसे विचार सामान्यता हिंसा के कृत्य होते हैं।

- **भसीन-यूएनएफपीए (2016), पृष्ठ 48 में किशोर/किशोरियों के साथ बातचीत करके वंदना बिष्ट और सुरभि सिंह द्वारा उद्दत और डिजाइन की गई छवि 18**

वास्तव में लड़कों या पुरूषों में ऐसा व्यवहार प्राकृतिक रूप से नहीं आता है।

हमारे परिवारों, समुदायों और हमारे साधु-संथों के बीच ऐसे लड़कों/पुरूषों के कई उदाहरण है जिन्होंने पुरूषत्व के आनुकल्पिक विचारों को अंगीकार किया है।

- वह शांत होते हैं और अपने गुस्से को नियंत्रण में रखते हैं। घर के काम में हाथ बटाते है और आदरपूर्वक बातें करते हैं।
- ऐसे भी लड़कें हैं जो समानता में विश्वास रखते है और माता पिता की संपत्ति में अपनी बहनों को उचित हिस्सा देने के उनके अधिकारों के बारे में दलीलें देते हैं।
- ऐसे भी लड़कें और पुरूष होते हैं जिन्हें अपनी कमजोरी बताने में शर्म नहीं आती। वे अपने दोस्तों से जब उन्हें आवश्यकता होती है सहायता ले लेते हैं।
- ऐसे पिता भी होते हैं जो अपने बालकों की देखभाल करते हैं। ऐसे भी पुरूष है जो कार्यस्थल पर अपने सहयोगियों की इज्जत करते हैं।

मुख्य संदेश:

- ***नौजवान लड़कों का कुछ ऐसा आचरण होता है जिसे उनके लिए उचित माना जाता है।***
- ***ऐसे आचरण को पुरूषत्व कहा जाता है और उनके सीखने की प्रक्रिया पुरूषत्व है।***
- ***सभी संस्कृतियों में पुरूषत्व का अर्थ अलग अलग है। किंतु ऐसे कुछ अभिभावी विचार है जिन्हें सामान्य रूप से स्वीकार किया गया है।***
- ***अकसर मीडिया भी सकारात्मक पुरूषत्व पर सामाजिक संवेदनशील संदेशों को प्रचारित-प्रसारित करता है।***

- **सावधानीपूर्वक इस चित्र को देंखे और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:**

Kabir is gentle, full of motherly love, and he looks after his younger sister, and he is a boy.

कबीर एक सज्जन लड़का है उसके मन में ममता, प्यार भरा हुआ है और वह अपनी छोटी बहन की देखभाल करता है और वह एक लड़का है।

जागौरी, (1997), पृष्ठ 18 पर बिंदिया थापर द्वारा उद्दत छवि 19

प्रयोग 1

1. क्या यह अभिभावी पुरूषत्व के गुण के विपरीत है?
2. यदि पुरूषत्व के गुणों के समुच्चय को चुनौती दी जाती है तब क्या होगा?
3. क्या सामाजिक रूप से पुरूषत्व का निर्वचन किया जा सकता है?

प्रयोग 2

निम्नलिखित कथन पर कुछ वाक्य लिखें:

- ***क्या आप अपने परिवार या मित्रों में से कोई ऐसा व्यक्ति जो 'अभिभावी संस्कृति की मूल्यमान्यताओं और सामाजिक रूप से स्वीकार्य' से अलग है वह पुरूषत्व की परिभाषा के अंतर्गत आता है या नहीं?***

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN

अध्याय-8

लड़कियों/महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का अंत करना:
उनकी सुरक्षा और अधिकारों में बढ़ोत्तरी
(Ending Violence Against Girls/Women: Advancing Safety And Rights)

उद्देश्य:

- ***विद्यार्थी सभी लड़कियों और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के बारे में समझने में समर्थ हो सके।***
- ***विद्यार्थियों को, विशेषरूप से लड़कों को, यह शिक्षा प्रदान की जा सके कि लड़कों और पुरूषों द्वारा किसी प्रकार सकारात्मक भूमिका निभाई जा सकती है।***

हिंसा की परिभाषा

हिंसा से अभिप्रेत है किसी व्यक्ति को शारीरिक रूप से अघात पहुंचाना और क्षतिकारित करना। इसमें वास्तविक रूप से अघात पहुचाएं ऐसी गाली-गलौच करना और मानसिक दवाब भी है जिसकी वजह से मन को संताप और ख्याति को नुकसान पहुंचता है।

लिंग आधारित हिंसा एक ऐसी घटना होती है जिसमें गहराई तक लिंग असमानता विद्यमान होती है और सभी समाज के भीतर उल्लेखनीय मानवीय अधिकारों का अतिक्रमण होता है। लिंग आधारित हिंसा एक ऐसी हिंसा है जो किसी व्यक्ति के विरूद्ध उनके लिंग के कारण की जाती है। महिला और पुरूष दोनों ही लिंग आधारित हिंसा के शिकार होते हैं किंतु अधिकतर महिलाओं और लड़कियों को ऐसी घटनाओं से गुजरना पड़ता है। लिंग आधारित हिंसा और महिलाओं के विरूद्ध हिंसा ये ऐसे दो पद है जिनका अकसर विनिमेयता के आधार पर उपयोग किया जाता है क्योंकि व्यापक रूप से यह बात स्वीकार की गई है कि अधिकतर लिंग आधारित हिंसा पुरूषों द्वारा महिलाओं और लड़कियों के साथ की जाती है

हिंसा के प्रकार:

1. अपराधिक हिंसा (बलात्संग, हत्या, अपहरण, व्यपहरण, दहेज मृत्यु)
2. घरेलू हिंसा (लैंगिक दुरूपयोग, पत्नी की पिटाई करना, घर पर बुरा व्यवहार करना)
3. सामाजिक हिंसा (छेड़खानी, पत्नी या पुत्र वधु को मादा भ्रूण हत्या के लिए मजबूर करना, विधवा स्त्री को सती, आदि कृत्य करने के लिए मजबूर करना)।

याद रखने योग्य बातें

- *लड़कियों/महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक वैश्विक समस्या है, उनकी आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्थिति में फर्क होने के बावजूद यह हर देश और समाज में घटित होती है।*
- *हिंसा अचानक हुआ कोई कार्य नहीं होता है। इसका संबंध पुरूष और महिलाओं के बीच अत्यधिक असमानता से है।*

लड़कियां और महिलाएं अपने जीवन काल के दौरान हिंसा के विभिन्न अनुभवों से गुजरती है:

- लिंग आधारित नर/मादा का चयन, बालिका की उपेक्षा, जबरदस्ती शीघ्र विवाह, लैंगिक दुरूपयोग, दहेज संबंधित हिंसा, दुर्व्यापार विधवा स्त्रियों के साथ भेदभाव आदि।
- सार्वजनिक स्थानों, गलियों, बस स्टॉप, विद्यालयों, परिवहन प्रणाली आदि में लैंगिक उत्पीड़न
- साइबर अपराध और साइबर बुलिंग की गंभीर धमकी
- हिंसा की अन्य ऐसे स्थल- मकान, शैक्षणिक संस्थाएं, समुदायिक और कार्यस्थल

बालकों के विरूद्ध हिंसा (Violence against Children)

इसी प्रकार बालकों के विरूद्ध हिंसा के कई रूप हैं: शारीरिक, लैंगिक और भावनात्मक दुरूपयोग और इसमें उपेक्षा या वंचन भी अंर्तग्रस्त है। कई अन्य स्थानों में भी हिंसा की जाती है जिसमें घर, विद्यालय, समुदाय और इंटरनेट भी है।

सभी बालकों को, कार्य की प्रकृति या गंभीरता पर विचार किए बिना, हिंसा से संरक्षण का अधिकार है। सभी प्रकार के हिंसा से बालकों को नुकसान कारित हो सकता है, उनके आत्म सम्मान को चोट पहुंच सकती है, उनकी बेइज्जती हो सकती है और उनके विकास में बाधा पहुंच सकती है।

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम क्या है?

लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 को लैंगिक हमले, लैंगिक उत्पीड़न और अश्लील साहित्य के अपराधों से बालकों का संरक्षण करने के लिए अधिनियमित किया गया है तथा इन अपराधों का विचारण करने के लिए बालकों के अनुसार कार्यवाही करने की प्रणाली का उपबंध किया गया है। इसमें बालक को परिभाषित किया गया है बालक से अभिप्रेत है ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से कम है और लैंगिक दुरूपयोग से 18 वर्ष की आयु से कम सभी बालकों के लिए संरक्षण का उपबंध किया गया है। न्यायिक प्रक्रिया के सभी प्रक्रमों के माध्यम से बालकों का संरक्षण करने का भी इसका आशय है और बालकों के 'सर्वोत्तम हित' के सिद्धांत को अत्यधिक महत्व दिया गया है।

क्या आपने इन आंकड़ों को पढ़ा है? क्या तुम्हें इन्हें पढ़कर परेशानी हुई?

- बालकों के विरूद्ध सबसे बढ़ा अपराध अपहरण और व्यपहरण है जो कि सभी अपराधों का आधा है (52.3%, अपहरण और व्यपहरण की संख्या 54,723 है) जिसे एनसीआरबी द्वारा 2016 में लेखबद्ध किए गए थे।
- बालकों के विरूद्ध दूसरे सबसे बड़ें अपराध का वर्ग बलात्संग है, एनसीआरबी द्वारा 2016 में 19,220 मामले लेखबद्ध किए गए थे।
- एनसीआरबी द्वारा वर्ष 2016 में बाल विवाह से संबंधित 327 मामले लेखबद्ध किए गए।
- किशोरियों (15-19 वर्ष) की तीन में से एक लड़की (34%) जो विवाहित है या किसी से संबंध में है उन्होंने अपने पति/साथी द्वारा शारीरिक, लैंगिक, भावात्मक हिंसा का सामना किया है। (यूनएनआईसीईएफ)[11]

प्रयोग 1

नीचे लिखी कहानी को पढ़ें और प्रश्नों का उत्तर दें:

रानू की आयु 16 वर्ष की और वह अपने माता पिता और तीन बहनों के साथ पास की बस्ती में रहती हैं। विद्यालय जाते समय उसने पाया कि पड़ोस के रहने वाले कुछ लड़कें उसे लगातार तंग करते हैं। वे सीटियां बजाते हैं उसे चारों तरफ से घेरकर खड़ें हो जाते हैं और फिब्तयां कसते हैं। कभी कभी वे अश्लील इशारें भी करते हैं और अपने सेल फोनों पर फोटो खींचते हैं और अन्य लड़कों के साथ उन्हें सांझा करते हैं।

कभी भी वे उसी बस में चढ़ जाते हैं जिसमें वह जाती है और रास्ते भर उसका पीछा करते हैं। रानू ने अपनी सहेलियों को यह बातें बताई किंतु अपने माता पिता को बताने की हिम्मत न कर सकी।

एक दिन रानू के पिता ने इन लड़कों की हरकतों को देख लिया। उसने तुरंत यह निर्णय लिया कि वह विद्यालय नहीं जाएगी और अब उसका विवाह कर देना चाहिए। रानू का जल्दबाजी में विवाह एक बड़ी उम्र के आदमी के साथ कर दिया गया और वह बस्ती से चली गई। उसने पढ़ाई करने की अपनी इच्छा व्यक्त की किंतु उसकी नहीं चली। एक साल के भीतर वह मां बन गई। उसके पास बहुत अधिक घर का कार्य करने के लिए होता है और वह शारीरिक रूप से कमजोर हो गई उसका पति शराब पीता है और कभी कभी उसकी पिटाई करता है। किसी ने भी उसकी सहायता नहीं की और वह यह जानना चाहती है कि वह क्या करें (Source: Breakthrough-SANAM)[12]

[11] http://www.unicef.in/Whatwedo/23/Violence-Against-Children

[12] http://menengage.org/wp-content/uploads/2016/03/Breakthrough_SANAM-Masculinities-Workbook.pdf

इस संबंध में सोचें और निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर दें:

1. रानू की दुर्गति के लिए आज कौन जिम्मेदार है?
2. उसके पिता ने मामले की रिपोर्ट क्यों नहीं दर्ज कराई और इसके स्थान पर उसका विवाह क्यों कर दिया?
3. रानू के पास क्या विकल्प है? उसे सहायता मांगने के लिए किसके पास जाना चाहिए था?

प्रयोग -2

सोचें और अपने मित्रों के साथ विचार-विमर्श करें:

1. परिवार में या आपके मित्रों के बीच लैंगिक उत्पीड़न से संबंधित किसी समस्या के मामले में अपनी व्यथा आप किसके साथ सांझा करना पसंद करेंगे?
2. क्या आप ऐसा सोचते हैं कि व्यक्तिगत फोटो या गोपनीय जानकारी ऑनलाईन पर सांझा करने के कारण लैंगिक उत्पीड़न की समस्या उद्भुत हो सकती है?
3. जब आपको कोई व्यक्ति चोट पहुंचाता है या आपकी हंसी उड़ाता है तब क्या आप स्वयं को दोषी मानते हैं?
4. यदि आपका लैंगिक रूप से उत्पीड़न हुआ है तब क्या आप यह जानती है कि रिपोर्ट किसको करनी चाहिए?
5. सहायता प्राप्त करने के लिए टेलीफोन किस नंबर पर किया जाएं?
6. क्या आप यह चाहते हैं कि सार्वजनिक स्थान सुरक्षित रहे? क्या आप यह चाहेंगे कि पार्क, बाजार स्थल, विद्यालयों की सुरक्षा बढ़ाई जाएं?

लड़कें निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार करें:

1. जब कोई लड़की (लड़कियां) पास से गुजरती है तब आप अश्लील चुटकलें सुनाते हो और सीटी बजाते हो?
2. क्या तुम लड़कियों को घूरते हो? जब आपका कोई दोस्त लड़की/लड़कियों का पीछा करता है तब तुम क्या करते हो?
3. क्या तुमने कभी ऐसे लड़कें देखें हैं जो किसी का मजाक नहीं उड़ाते हैं और शरीफ है?
4. क्या तुम उनके पास अच्छी बातों को सीखने के लिए गए? क्या तुम सभी व्यक्तियों का आदर करने में विश्वास रखते हो?
5. जब कोई व्यक्ति लड़कियों को तंग करता है तब तुम क्या करते हो?

अध्याय 9

लिंग समानता
(Gender Equality)

उद्देश्य:

- ***विद्यार्थी लिंग समानता के संबंध में अपनी उपधारणाओं को सांझा करने के लिए समर्थ हो सके और यह स्पष्ट कर सके कि महिलाओं और पुरूषों दोनों के लिए यह स्थिति कैसे फायदेमंद है।***
- ***विद्यार्थी इस बात को समझ सके कि सभी के लिए समान मानवीय अधिकारों को प्रदान करने की हमारी जो वचनबद्धता है वह लिंग समानता के लिए अनिवार्य है।***
- ***लिंग की भूमिका को समझ सके और अपने दैनिक जीवन और कार्यपद्धति में लिंग समानता को अग्रगामी करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल अर्जित कर सके।***
- ***"औपचारिक" और "मौलिक" समानता के बीच के फर्क को पुन:दोहराए और परिणामों की समानता के महत्व को समझे।***

लिंग समानता की परिभाषा

लिंग समानता का यह अर्थ नहीं है कि पुरूष और महिला एकसमान हो जाएंगे; इसका अर्थ यह है कि उन्हें अवसरों और जीवन में हो रहे परिवर्तन तक उनकी पहुंच स्वतंत्र हो और उनके लिंग के आधार पर कोई बाधा न हो। इसे तब हासिल किया जा सकता है जब समाज के सभी क्षेत्रों में, जिसमें आर्थिक हिस्सेदारी और निर्णय करने के समान अधिकार और अवसर पुरूषों और महिलाओं दोनों को प्राप्त हो तथा महिलाओं/लड़कियों और पुरूष/लड़कों के विभिन्न व्यवहार, महत्वाकांक्षा और आवश्यकताओं को समझा जाए और पक्ष लिया जाए।

इससे यह भी विवक्षित है कि लड़कियों/महिलाओं और लड़कों/पुरूषों के विनिर्दिष्ट हितों और आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाए; विभिन्न समूहों की विविधताको मान्यता दी जाए; और हरएक को अपनी रूचित के अनुसार मौका दिया जाए न कि समाज में लिंग भूमिका के बारे में रूढिवादिता और पूर्वाग्रहों के आधार पर।

भारत ने दीर्घकालिक विकास लक्ष्य 2030 (Sustainable Development Goals, 2030) पर हस्ताक्षर किए है। इसका एकमात्र उद्देश्य लिंग समानता है, एसडीजी 5 का ध्यान लिंग समानता और सभी महिलाओं और लड़कियों को सशक्त करने और इसमें हर जगह महिलाओं और लड़कियों के विरूद्ध सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करना भी शामिल है, पर केंद्रित है क्योंकि यह अतिमहत्वपूर्ण लक्ष्य है[13]।

[13] https://www.niti.gov.in/verticals/sustainable-dev-goals

अब हमें यह अवश्य ज्ञान होना चाहिए कि लिंग समानता क्यों आवश्यक है?

- लिंग समानता केवल एक मूल अधिकार ही नहीं है अपितु यह शांतिपूर्ण और सतत् संसार के लिए एक आवश्यक आधार है।
- खुशहाल समाज और अर्थव्यवस्था का निर्माण करने के लिए।
- शिक्षा, बेहतर कार्य और राजनैतिक और आर्थिक निर्णय करने की प्रक्रिया तक समान पहुंच प्रदान करने, इससे न केवल महिलाओं के पास अधिकार होंगे अपितु यह सब कुल मिलाकर मानवता के लिए हितबद्ध होगा।
- इससे न केवल दीर्घकालिक विकास लक्ष्य के 5 लक्ष्यों पर प्रगति होगी अपितु गरीबी कम करने और आर्थिक संवर्धन की वृद्धि में भी लाभ होगा।

उदाहरण:

- रजस्वला के दौरान लड़कियों को पानी और अपशिष्ट का निपटान करने के लिए अभिहित शौचालयों की आवश्यकता होती है। यदि विद्यालय ऐसी सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराएंगे तब लड़कियों को छुट्टी लेने, कक्षा में अनुपस्थित रहने और यहां तक कि विद्यालय छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।
- विद्यालय जाते समय लड़कियों को जिस लिंग आधारित हिंसा और लैंगिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ता है उससे उनका स्वास्थ्य और विद्यालय में उनकी उपस्थिति और भाग लेना प्रभावित होता है।

समान अधिकार के लिए एक जैसा
होने की आवश्यकता नहीं है

भसीन-यूएनएफपीए (2016), पृष्ठ 16 में किशोर/किशोरियों के साथ बातचीत करके वंदना बिष्ट और सुरभि सिंह द्वारा उद्दत और डिजाइन की गई छवि 20

औपचारिक और मौलिक समानता (Formal and Substantive Equality)

''औपचारिक समानता'' (Formal equality) इस सोच को बढ़ावा देती है कि मानकों के एक जैसे समुच्चय के अधीन पुरूषों और महिलाओं को एकसमान माना जाए। मानक वे होते है जिन्हें सामान्यतया सुसंगत क्या है और पुरूषों को क्या लागू होता है, के अनुसरा तैयार किया जाता है।

औपचारिक समानता को लिंग तटस्थ व्यवहार के अनुसार देखा जाता है। इसमें साधारण रूप से सभी परिस्थितियों में महिलाओं और पुरूषों को एकसमान माना जाता है और यह नहीं माना जाता है कि पुरूषों और महिलाओं के बीच कोई महत्वपूर्ण अपरिवर्तनीय फर्क है।

मौलिक समानता (Substantive equality) पुरूष और महिला के बीच फर्क को मान्यता देती है और ''समानता के परिणामों'' को सुनिश्चित करने के लिए इन फर्कों पर विचार करने के लिए कार्य करती है। यह समान पहुंच और समान फायदों को सुनिश्चित करती है किंतु स्त्री-पुरूषों के बीच वास्तविक (स्वत:) समानता को सुनिश्चित करने के लिए कभी कभी विशेष कदम और उपायों को मान्यता देती है।

इसका यह अर्थ है कि सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए समान पहुंच, समान अवसर और समान परिणाम होने चाहिए।

लक्ष्य: समानता के परिणामों को आगे बढ़ाएं (Promote Equality Outcomes)

यह अपेक्षित है कि लड़कियों और महिलाएं जिन विनिर्दिष्ट बाधाओं का सामना करती है उस संबंध में विचार किया जाए ओर सकारात्मक कार्रवाई के लिए योजना तैयार की जाए। भारत द्वारा अस्थायी विशेष उपायों के रूप में संस्थित की गई है जैसे कि:

- स्थानीय निकायों या पंचायतों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण;
- मेट्रो/रेलगाड़ियों में महिलाओं के लिए अलग डिब्बा।
- अलग बसें, ऑटो, टैक्सी, सुरक्षित परिवहन आदि।

समान आदर और अधिकार	सभी मानव समान, गरिमा की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ जन्में हैं।

छवि 21

भसीन-यूएनएफपीए (2016), पृष्ठ 15 और 98 में किशोर/किशोरियों के साथ संवाद करके वंदना बिष्ट और सुरभि सिंह द्वारा उद्दत और डिजाइन की गई छवि 21

अब हमें यह जानने की भी आवश्यकता है कि हम मौलिक समानता कैसे प्राप्त कर सकते है। इसके लिए हमें निम्नलिखित को बदलना आवश्यकता है:

i. **प्रत्यावर्तनशील सामाजिक कसौटियां (Regressive Social Norms):** जैसे कि ऐसी कसौटियां जो विभिन्न लिंगों के बीच असमानता बनाई रखती है- एक जैसे काम के लिए महिलाओं के पुरूषों से कम भुगतान किया जाता है, घरेलू कार्य रूप से लड़कियों/महिलाओं के लिए माना जाता है और इसी प्रकार अन्य काम।

ii. **पहुंच (Access):** महिलाओं/लड़कियों के पास कौटुम्बिक आस्तियों, संपत्ति, बैंक ऋण, जमा राशि तक बराबर पहुंच होनी चाहिए और खेलों और सार्वजनिक गतिविधियों में भाग लेने का समान अवसर होना चाहिए।

iii. **नियत विचारधारा (Mindsets):** समाज में लड़कियों की क्षमता को कम आंका जाता है और उन्हें तुच्छ और दूसरे दर्जे का नागरिक माना जाता है- महिलाएं अपने घर में कोई निर्णय नहीं कर सकती है, वे अपना जीवनसाथी नहीं चुन सकती है इन सबा निर्णय परिवार करता है।

iv. **अधिकार जताना (Asserting):** महिलाओं/लड़कियों को अधिकार जताना चाहिए ओर अपने अधिकारों और स्वतंत्रता का दावा करना चाहिए।

v. सामाजिक-संस्कृति परिपाटियां जैसे कि दहेज, मादा शिशु का लिंग चयन, आवागमन पर रोकटोक और लड़कियों के लिए नियत कपड़ें पहनना और लड़कियां केवल अपने ससुराल वालों की देखभाल करेगी, आदि लड़कियों/महिलाओं के लिए दुखदायी है।

vi. **कार्य का अधिकार और जीने के लिए कमाई करना (Right to Work and Earn for living):** लड़कियां/महिलाएं अपनी आवाज बुलंद करें ओर दहेज के लिए न कहे, काम करने के अपने अधिकारों और अपनी उपजीविका के लिए हक मांगे, स्वतंत्र हो और अपने माता-पिता की देखभाल करें।

लड़कियों/महिलाओं के लिए: क्या आप अपने संवैधानिक अधिकारों के बारे में जानती हैं?

प्रयोग-1 लिंग असमानता

क. कब महिलाओं को प्रशिक्षण, नौकरी और प्रोन्नति के अवसर दिए जाते हैं।

ख. असमान व्यवहार और संसाधनों, अवसरों और लिंग आधारित स्वायत्ता

ग. कब पुरूष और महिलाओं के बीच अलग शारीरिक क्षमताओं को देखा जाता है।

प्रयोग-2 सही विकल्प पर निशान लगाएं

सही	गलत	लिंग समानता
	X	इसका अर्थ है पुरूषों और महिलाओं को एक समान मानना
X		इसका अर्थ है पुरूषों और महिलओं को समान अवसर, संसाधन और पुरस्कार प्रदान करना
X		इसका उद्देश्य पुरूषों और महिलओं के बीच शक्ति असंतुलन का उपचार करना है
	X	ऐसा कुछ जिसे केवल महिला समझ सकती है और उसके लिए काम कर सकती है
X		इसका अर्थ है कि अवसरों और जीवन में मौके मिलना उनके लिंग पर निर्भर नहीं है और न ही रूकावट है।

उद्धरण

- भसीन, के. (1997). वट इज ए गर्ल? वट इज ए बॉय। इलस्ट्रेशन बाइ बिंदिया थापर। नई दिल्ली: जागौरी
- भसीन, के. (2004). हाउसवर्क इज ऐवरीवन वर्क राइम फॉर जस्ट एंड हैप्पी फैमिलीज। ट्रांसक्रिटिड फरोम हिंदी बाइ बीना अग्रवाल। इलस्ट्रेटिड बाई मिक्की पटेल। नई दिल्ली: जागौरी-यूएनआईसीईएफ।
- भसीन, के. (2016). कनर्वेसशन विथ ऐडोलेसन्ट, लाईफ स्कील्स: दि आर्ट आफ लिविंग। इलस्ट्रेशन बाई वंदना बिष्ट एंड सुरभि सिंह। नई दिल्ली: यूएनएफपीए।
- भसीन, के. (2016). कनर्वेसशन विथ ऐडोलेसन्ट, अंडरस्टैंडिंग ऐडोलेसन्ट एंड सेक्शूऐलिटी। इलस्ट्रेशन बाई वंदना बिष्ट एंड सुरभि सिंह। नई दिल्ली: यूएनएफपीए।
- भसीन, के. (एन.डी.). पोस्टर्स ऑन गर्ल चाइल्ड। फोटोग्राफ्स बाई यूएनआईसीईएफ। नई दिल्ली: जागौरी
- भसीन, के. एंड थापर, बी. (एन.डी.) पोस्टर ऑन डोमेस्टिक वायलेंस। नई दिल्ली: जागौरी-यूएनआईएफईएम
- जागौरी-कहानीवाले (2018). #तमन्नाओं का फ्रेम कैम्पेन। वर्डस बाई नीतू राऊतेला, सरिता बालोनी एंड श्रुति बत्रा। इलस्ट्रेटिड बाई मीनाक्षी पारिक।
- संगत-एक्शन ऐड (2018) #प्रोपर्टी फॉर हर कैम्पेन। वर्डस बाई कमला भसीन। इलस्ट्रेटिड बाई सिजाया गुप्ता

राष्ट्रीय महिला आयोग NATIONAL COMMISSION FOR WOMEN